

# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक-9.12.19

मि.न.140/2019

सरकार बनाम मुकेश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इंग्र शाशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94है0 किस्म गै0मु0 भूमि मेंसे 0.01है0 पर मुकेश पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नाहरेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायलान ने अपने जबाब मे कथन किया है कि ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 1551/0.94 किस्म गै0मु0 पर बुर्जगान के समय से करीब 50 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा मकान मे बिजली कनेक्शन भी ले रखा है मेरे पास इसके अलावा कोई निवास के लिए जगह नहीं है। अतः कार्यवाही ड्राप की जावे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल मुकेश पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 1551/0.94है0 किस्म जमीन गैर-मुमकीन भूमि मेंसे 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।चूकि गैरसायल ने अपने जबाब मे कथन किया है कि उसके पास उक्त मकान के अलावा रहने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है। राज्य सरकार की लोक नीति के अनुसार इनके उचित रहवास

✓

की व्यवस्था के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं। अतः गैर सायल को उक्त आराजीयात बेदखल करने हेतु ग्राम पंचायत से गैरसायल के रहवास की व्यवस्था करवाया न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मुकेश पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख० न० 1551/0.94 है०, किस्म ल ० मु० भूमि मे से 0.01 है० भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है व नाजायज रूप से अर्ध फ्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.60 रु. का पचास गुणा 30 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है अतः ग्राम पंचायत नारहेडा को आदेशित किया जाता है कि वह अतिक्रमी मुकेश पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नारहेडा की रहवास की व्यवस्था नियमानुसार करे तथा सहायक अभियन्ता वि०वि०नि० कोटपूतली को जारी शुदा विद्युत कनेक्शन विच्छेद के लिए लिखा जावे। तत्पश्चात हल्का गिरदावर बेदखली की कार्यवाही कर रिपोर्ट करे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 9.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

